राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति

NCTE

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Northern Regional Committee

रजिस्टर्ड

दिनांक : 17-7-01

राअशिप/उक्षेस/फ-3/एचआर-124/बीएड(अति.)/2001/ 1656

भारत के राजपत्र भाग-3, खण्ड-4 में प्रकाशनार्थ

आदेश

संत निश्चल सिंह कॉलेज ऑफ एजूकेशन फॉर वीमेन, संतपुरा, यमुना नगर- 135001 हरियाणा ने बीएड पाठ्यक्रम की 60 अतिरिक्त सीटों की सत्र 2001-2002 से मान्यता हेतु आवेदन प्रेषित किया था जो समिति कार्यालय में दिनांक 03.01.2001 को प्राप्त हुआ।

संस्था के आवेदन पर परिषद् मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश क्रमांक 42-69/2000अपील/7574 दिनांक 8.1.2001 के संदर्भ में विचार करते हुए संस्था का दिनांक 27.2.2001 को मूल्यांकन कराया गया था तथा संस्था की मूल पत्रावली, मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज आदि उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 10-11 मई, 2001 को सम्पन्न हुई 34 वीं बैठक में प्रस्तुत किए गए थे। उत्तर क्षेत्रीय समिति ने प्रकरण पर गहराई से विचार कर पाया कि संस्था में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा बीएड पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित मानदंडानुसार निम्नांकित कमियाँ हैं तथा समिति ने निर्णय लिया कि संस्था को इन कमियों के संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 14 (3)(बी) के अन्तर्गत दिनांक 20.6.2001 तक लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर दिया जाए।

1. संस्था में नियमित प्राचार्य होने की कमी है।
2. संस्था में 6 व्याख्याताओं में 1 नेट योग्यताधारी है। अतः 5 व्याख्याताओं की वर्तमान में स्वीकृत 60 सीटों के लिए निर्धारित योग्यता होने की कमी है।
3. संस्था में 60 अतिरिक्त सीटों के लिए योग्यताधारी स्टॉफ की कमी है।
4. संस्था में गणित, विज्ञान एवं हिन्दी के विषय व्याख्याताओं की कमी है।
5. प्रयोगशालाओं को परिषद् मानदंडानुसार अद्यतन करने की कमी है।
6. फीस बहुत अधिक है। एन.आर.आई. सीट 50,000 रुपये, पेड सीट्स- 25,000 रुपये तथा एससी की सीटों के लिए 12,500 रुपये है। फीस राज्य सरकार से अनुमोदन की कमी है।
7. संस्था की आय-व्यय से अधिक है। विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस आवर्तक व्यय जिसमें अध्यापकों का वेतन सम्मिलित हो की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। अतः आवर्तक व्यय एवं प्राप्त फीस का विवरण पुष्टि हेतु देने की कमी है।

समिति द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णयानुसार संस्था को पत्र क्रमांक राअशिप/उक्षेस/फ-3/एचआर-124/2001/933 दिनांक 21.5.2001 लिखा गया था जिसका उत्तर संस्था ने अपने पत्र दिनांक 30.5.2001 एवं 18.6.2001 के द्वारा दिया गया था। संस्था से प्राप्त उत्तर एवं संस्था की मूल पत्रावली, मूल्यांकन प्रतिवेदन, संस्था को प्रेषित पत्र, परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 05.07.2001 को सम्पन्न हुई 36 वीं बैठक में रखे गए। समिति ने प्रकरण पर गहराई से विचार कर निर्णय लिया कि संत निश्चल सिंह कॉलेज ऑफ एजूकेशन फॉर वीमेन, संतपुरा, यमुना नगर- 135001 हरियाणा के बीएड पाठ्यक्रम की अतिरिक्त 60 सीटों की मान्यता को निम्नांकित कमियों के कारण तुरन्त प्रभाव से अस्वीकार कर दिया जाए।

1. परिषद् मानदंडानुसार योग्यताधारी प्राचार्य की कमी है।
2. संस्था के पास कार्यरत सीटों के लिए 6 व्याख्याताओं में से तीन व्याख्याता 1.9.2000 को परिषद् के नए मानदंड लागू होने के बाद रखे गए हैं जिनमें से एक नेट योग्यताधारी है। अतः कार्यरत 60 सीटों के लिए 2 व्याख्याता परिषद् मानदंडानुसार योग्यताधारी होने की कमी है तथा तीन व्याख्याताओं की योग्यता छूट अवधि में निर्धारित योग्यता प्राप्त किया जाना शेष है।

14

C:\My Documents\Bansal.doc C:\My Documents\Bansal.doc/Subhash Chand/

कार्यालय : ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर-302004
क्षेत्राधिकार : उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान
Phone फोन : 0141-623501 Fax फैक्स : 91-141-620116

Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur-302 004
Jurisdiction : U.P., Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan
E-Mail : ncte@raj.nic.in Website : http://www.ncte-in.org